उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या : 7—विनियम/पाकालि/12—3—विनियम/92 दिनांक : 09 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 09—05—2012 को हुई बैठक में परिचालन विधि से एतद्द्वारा निम्नवत् निर्णय लिय गया :—

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0— 2608/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27—04—2012 के आलोक में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं0—4/1/2002 टी0सी0—1—का—2/2012 दिनांक 08—05—2012 का **संलग्नक सहित अंगीकृत किया जाता है,** जिसके मुख्य आदेश बिन्दु निम्न है :—

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गो/पदों की ज्येष्ठता सूचियॉ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम—8 'क' के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी हो, उनमें से परिणामी ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए **ज्येष्ठता नियमावली, 1991** के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जायें।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर प्रथक प्रथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथा **ज्येष्ठता एकल पात्रता** सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त परिषदादेश/निगमादेश एवं रोस्टर भी निरस्त किये जाते है।

2. उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन द्वारा पूर्व में जारी आदेश सं0—62—विनियम/ पाकालि/08—3—विनियम/92 दिनांक 26—03—2008 का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पत्रांक 1051—आ0अनु0/राविप/ 94—10(14)आर0एस00/93 दिनांक 16—05—1994 द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 सरकार के पत्रांक—01/01/94—का—1/1994 दिनांक 11—02—1994 के साथ संलग्न अधिसूचना सं0—265/सत्रह—वि—1—2(क)5—1994 दिनांक 11—02—1994 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा—3(7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) का तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त परिषदादेश के अन्य प्राविधान यथावत् रहेगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :— 7—(1)—विनियम/पाकालि/12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9/5/12

(जावेद अहमद)
उप सचिव (विनियम)